न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 32 / 2020 (2020 / 00168)

तारीख दायरा—11.08.2020

तारीख निर्णय—01.02.2021

1. श्री राजुलाल पिता सवा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती गीता पुत्री सवा कुम्हार पत्नी मोहन कुम्हार उम्र वयस्क निवासी आंतरीबारा तहसील कुम्भंलगढ।
3. श्रीमती सीता पुत्री सवा कुम्हार पत्नी बन्शीलाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कुम्हसावास तरपाल तहसील गोगुन्दा।
4. श्रीमती डाकु पुत्री सवा कुम्हार पत्नी किशनाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नारों का गुडा तहसील गोगुन्दा।
5. श्रीमती पार्वती सवा कुम्हार पत्नी लेहरीलाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नान्देशमा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती मगनीबाई बेवा सवा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी कुम्हसावास तरपाल तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता मोहनलाल श्रीमाली उम्र वयस्क निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
2. श्री बंशीलाल पिता मोहनलाल श्रीमाली उम्र वयस्क निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री शिवशंकर जोशी

अप्रार्थी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा तरपाल पटवार सर्कल तरपाल तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 646 में के आराजी संख्या 729 रकबा 0.2000, आराजी संख्या 735 रकबा 0.0350 एवं आराजी संख्या 737 रकबा 0.0800 है0 भुमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पास में विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 730, 731, 760, 761, 734, 736, 752 स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि पास—पास होने से सीमा बंदी के बारे में आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी में अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचाते है, जिस बाबत् प्रार्थी ने कई बार सीमा जानकारी कराई गई लेकिन विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी को नहीं मानकर आये दिन सीमा क्षेत्र के पत्थरों को फेंक देते हैं। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सीमाओं पर पूर्ण नपती के पश्चात पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि की पत्थरगढी मय तहसीलदार साहब गोगुन्दा के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:19:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सुचना एवं सम्मन तामील के अनुपरिस्थत रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला—उदयपुर (राज.)

गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी नही किये जाने बाबत् तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जबकि बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा तरपाल पटवार सर्कल तरपाल तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 646 में के आराजी संख्या 729 रकबा 0.2000, आराजी संख्या 735 रकबा 0.0350 एवं आराजी संख्या 737 रकबा 0.0800 है0 भूमि का उभय पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:19:56 IST
Reason: SelfAttested